"बिजनेस पोस्ट के न्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु (मत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ ट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5 2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 349] रायपुर, बुधवार, दिनांक 7 अगस्त 2013—श्रावण 16, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, कैपिटल कॉम्प्लेक्स, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 अगस्त 2013

क्र. 68/6 .. 243/21-अ/प्रारू./छ. ग. /13.—छत्तीसगढ़ विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 31-07-2013 को राज्यपाल की अनु प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

छत्तीसगढ़ अधिनियम
(क्रमांक 28 सन् 2013)

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2013

छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के चौसठवें वर्ष में छत्तीसगढ़ विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

1. (1) यह अधिनियम छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2013 कहलायेगा.

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन तारीख से प्रवृत्त होगा.

अनुसूची-1 का संशोधन.

2. छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्रमांक 2 सन् 2005) (जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के रूप में निर्दिष्ट है,) की अनुसूची-1 के सरल क्रमांक 25 से संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर निम्न प्रविष्टि प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-

"(एक) मेडिसिनल एण्ड टायलेट प्रिपरेशन्स (एक्साइज ड्यूटीज) एक्ट, 1955 (क्र. 16 सन् 1955) की अनुसूची में विनिर्दिष्ट की गई औषधीय तथा प्रसाधनीय निर्मितियों, तथा

(दो) एफ. एल. -10 अनुज्ञप्तिधारी वितरक द्वारा विक्रय की जाने वाली विदेशी तथा भारत में निर्मित विदेशी मदिरा " से भिन्न माल जिस पर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 (क्र. 2 सन् 1915) के अधीन शुल्क उद्गृहित किया जाता है या उद्गृहित किया जा सकता है."

अनुसूची-2 का संशोधन.

3. मूल अधिनियम की अनुसूची-2 के भाग-3 में सरल क्रमांक 6 के पश्चात् निम्नलिखित सरल क्रमांक और उससे संबंधित प्रविष्टि जोड़ी जाए, अर्थात् :

"7	एफ. एल.-10 अनुज्ञप्तिधारी व्यवसायी द्वारा विक्रय की जाने वाली विदेशी तथा भारत में निर्मित विदेशी मदिरा.	-	7"

रायपुर, दिनांक 7 अगस्त 2013

क्र. 6876/डी. 243/21-अ/प्रारू./छ. ग. /13. —भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर (संशोधन) अधिनियम, 2013 (क्रमांक 28 सन् 2013) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुषमा सावंत, अतिरिक्त सचिव.

CHHATTISGARH ACT
(No. 28 of 2013)

The Chhattisgarh Value Added Tax (Amendment) Act, 2013.

An Act further to amend the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005).

Be it enacted by the Chhattisgarh Legislature in the Sixty-fourth Year of the Republic of India, as follows :-

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Chhattisgarh Value Added Tax (Amendment) Act, 2013.

(2) It shall come into force from the date of its publication in Official Gazette.

Amendment of Schedule-I

2. For the Entry of Serial No. 25 of the Schedule-I of the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), (hereinafter referred to as the Principal Act), the following shall be substituted, namely :-

" Goods on which duty is or may be levied under the Chhattisgarh Excise Act, 1915 (No. 2 of 1915), other than -

(i) Medicinal and Toilet preparations specified in the Schedule to the Medicinal and Toilet Preparations (Excise Duties) Act, 1955 (No. 16 of 1955), and

(ii) Foreign and Indian-made foreign liquor sold through dealer holding F. L.-10 license."

Amendment of Schedule-II

3. After Entry No. 6 of Part-III of Schedule-II of the Principal Act, the following serial number and entries relating thereto shall be added, namely :

"7	Foreign and Indian- made foreign liquor sold through dealer holding F. L.-10 license	-	7"

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2013.